**भारत सरकार** **लोक सभा**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** **अतारांकित प्रश्न सं. 477**

**वाणिज्य विभाग**

**<u>दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>**

## ईसीजीसी लिमिटेड

477. श्री बिद्‍युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) लिमिटेड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान ईसीजीसी द्वारा प्रीमियम, दावों सहित कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) ईसीजीसी द्वारा प्रदत्त उत्पादों, सेवाओं तथा व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ईसीजीसी द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ हस्ताक्षरित किये गये समझौता ज्ञापनों (एमओयू) तथा उसके फलस्वरूप मिले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(च) पूंजी लगाया जाना, ईसीजीसी लिमिटेड के कार्यनिष्पादन को बेहतर करने हेतु सुधारों सहित सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे है?

**उत्तर**

**<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क)** : जी, हां।

**(ख)** : ईसीजीसी लिमिटेड की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत वर्ष 1957 में निर्यातकों और बैंकों को निर्यात ऋण बीमा सेवाएं और भारत से निर्यातों का संवर्धन करने एवं सहयोग देने के लिए मुंबई में की गई।

**(ग)** : ईसीजीसी के कार्य निष्पादन का विगत तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष में विवरण निम्नानुसार है :

**भारत सरकार** **लोक सभा**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** **अतारांकित प्रश्न सं. 482**

**वाणिज्य विभाग**

<u>दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

चीन के उत्पादों पर प्रतिबंध

482. प्रो० सौगत रायः

श्री गोपाल शेट्टीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या सरकार ने नियमों के आधार पर चीन के उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने में सफलता प्राप्त की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस निर्णय से देश के औद्योगिक क्षेत्र को लाभ हुआ है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या चीन के उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मदद मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (ड.) :** सरकार उभरते व्यापार और आर्थिक कारकों के आधार पर देश की आयात नीति की नियमित रूप से समीक्षा करती है। आयातों को विनियमित करने का निर्णय राष्ट्रीय और जनहित में मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। वर्तमान में, विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत आयातों के लिए 550 टैरिफ लाइनें 'प्रतिबंधित'/'वर्जित' श्रेणी में हैं, जिनका आयात चीन सहित सभी देशों से प्रतिबंधित है।

सरकार ने घरेलू क्षमताओं को सहायता देने और विस्तार करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप ईज ऑफ डुइंग बिजनेस और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलएस) के माध्यम से मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक संघटक और बल्क ड्रग्स तथा मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्रों सहित घरेलू विनिर्माण का संवर्धन करने के लिए नीतियों का क्रियान्वयन किया है।

उद्योगों पर संवर्धनात्मक उपायों का संपूर्ण प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के उबरने पर ही दृष्टिगोचर होगा।

*****

राशि करोड़ रुपये में

| वित्तीय वर्ष | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल-जून, 2020 |
|---|---|---|---|---|
| प्रदत्त दावों की राशि | 1,283.17 | 1,013.31 | 408.41* | 202.41 |
| प्राप्त प्रीमियम की राशि | 1,240.42 | 1,247.54 | 1075.41 | 170.39 |

*चूंकि वर्ष 2019-20 के लिए 31 मार्च, 2020 तक प्रलेखन उपलब्ध नहीं था, इसलिए प्रदत्त दावे न्यूनतर हैं।

**(घ):** ईसीजीसी सेवाओं/उत्पादों में निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण बीमा पालिसी, बैंकों और मध्यम व दीर्घावधि परियोजना निर्यातों के लिए निर्यात ऋण बीमा, एमएसएमई तथा सूक्ष्म एवं लघु निर्यातक पॉलिसियों के लिए फैक्टरिंग स्कीम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ईसीजीसी राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) ट्रस्ट का प्रबंधन अभिकरण है जो भारत सरकार को राष्ट्रीय हित में परियोजना निर्यात में सहयोग देने के लिए सक्षम बनाता है।

कंपनी में भारत सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी, जिसके लिए भारत सरकार को शेयर जारी किए जाते हैं, का कंपनी के पूंजीगत आधार में वृद्धि करने में उपयोग किया जाता है। पूंजीगत आधार से जोखिम अंकन क्षमता ली जाती है जिसके आधार पर ईसीजीसी व्यापार प्रचालनों से आय सृजित करती है और सरकार को डिबिडेंट का भुगतान करती है।

**(ङ.) :** ईसीजीसी ने समान विदेशी संस्थानों के साथ 48 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका उद्देश्य सूचना और उत्तम पद्धतियों का नियमित विनिमय, निर्यात ऋण बीमा मुद्दों पर विचार-विमर्श/ विचारों का विनिमय और परस्पर हित के संभावित क्षेत्रों और परियोजना की पहचान करना है। हाल ही में, क्रेडिट ओमान के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत इसकी वचनबद्धता के एक भाग के रूप में ईसीजीसी ने दूसरे पक्ष को उसकी प्रणालियों और उत्पादों में सुधार के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं और परामर्शी शुल्क के रूप में 75000 अमरीकी डॉलर अर्जित किए हैं।

**(च) :** भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 की तीन वर्षों की अवधि के दौरान उभरते हुए और चुनौतीपूर्ण बाजारों को निर्यात सहित निर्यात ऋण बीमा की अधिक मात्रा को सहायता देने के लिए ईसीजीसी में लगभग 1410 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी लगाई है। ईसीजीसी और वाणिज्य विभाग के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के विभिन्न संकेतकों के माध्यम से ईसीजीसी के कार्यनिष्पादन की निगरानी की जाती है।

*****

**भारत सरकार**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
**वाणिज्य विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 483**

**<u>दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>**

## जलीय कृषि का संवर्धन

483. श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश के संदर्भ में जलीय कृषि के संवर्धन की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में जलीय कृषि के बेहतर विकास हेतु संकुल विकसित करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा देश में जलीय कृषि को बढ़ावा देने और उसके संवर्धन हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ताकि प्रति वर्ष न्यूनतम 15 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की जा सके; और

(ङ) जलीय कृषि निर्यात पर कोविड–19 का क्या प्रभाव पड़ा है और मंत्रालय, विशेषकर आंध्र प्रदेश में जलीय कृषि किसानों की मदद के साथ–साथ इसका समाधान कैसे करेगा?

**उत्तर**

**<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क), (ख) एवं (ग) :** जी, हां। भारत सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र के संपूर्ण सामर्थ्य का स्थायी उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) का आरंभ किया है, जो केंद्र/केंद्र शासित सरकारों की अन्य स्कीमों और कार्यक्रमों के साथ मिलकर पश्चगामी और अग्रानुबंधन के माध्यम से 'समूह या क्षेत्र आधारित पद्धतियों' और मत्स्य पालन समूहों के सृजन पर केंद्रित है। यह स्कीम मूल्य श्रृंखला, अवसंरचना, आधुनिकीकरण, अनुमार्गणीयता, उत्पादन, फसलोपरांत प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण के महत्वपूर्ण अंतरालों का समाधान करने की परिकल्पना भी करती है। एम्पीडा, जलीय कृषि और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसकी सोसायटी राष्ट्रीय संधारणीय जलीय कृषि केंद्र (एनएसीएसए) के माध्यम से ग्राम आधारित सोसाइटीज के विन्यास द्वारा पहल की सहायता कर रही है।

**(घ) :** एम्पीडा ने देश में जलीय कृषि उत्पादन का संवर्धन करने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं जैसे राज्य सरकारों के साथ समन्वय में तटीय जलीय कृषि के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि करना, मत्स्य-पालकों द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए समर्थ बनाकर उत्पादकता में वृद्धि, प्रजातियों का विविधीकरण, प्रदर्शनी कार्यक्रमों के माध्यम से अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण, प्रमाणीकरण स्कीम के माध्यम से गुणवत्ता और अनुमार्गणीयता के मुद्दों का समाधान आदि। एम्पीडा देश में जलीय कृषि उत्पादन के संवर्धन के लिए मत्स्य विभाग के साथ गहन समन्वय में कार्य कर रहा है।

**(ड.) :** कोविड-19 अवधि के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। इस संबंध में, मात्स्यिकी विभाग और एम्पीडा ने आंध्र प्रदेश के मत्स्य पालकों सहित मत्स्य पालकों को सहायता देने के लिए सभी प्रयास किए हैं। एम्पीडा ने लॉकडाउन के दौरान लॉजिस्टिक अनापत्ति प्राप्त करने, एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए फसल पूर्व परीक्षण, आनलाइन फाइलिंग की प्रक्रियाओं और प्रमाणपत्र जारी करने की सुविधा देने, अनिवार्य विवरणियों की समय-सीमा का विस्तार, समुद्री उत्पाद के निर्यात के शीघ्र पुनरारंभ, वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक/वेबीनार, आदि में मत्स्य पालकों की सहायता की है।

*****

**भारत सरकार** **लोक सभा**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** **अतारांकित प्रश्न सं. 491**

**वाणिज्य विभाग**

<u>दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

## भारतीय निर्यात संबंधी पाटन रोधी शुल्क

491. श्री मोहनभाई कुंडारियाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इंडोनेशिया और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों ने इंडोनेशिया और जीसीसी देशों के लिए सेरामिक टाइलों सहित भारतीय निर्यात पर पाटन रोधी शुल्क लगाया है;

(ख) यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडोनेशिया और जीसीसी देशों द्वारा सेरामिक टाइलों पर पाटन रोधी शुल्क लगाने पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) इंडोनेशिया और जीसीसी देशों द्वारा पाटन रोधी शुल्क का भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है और इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस प्रकार लगाया गया पाटन रोधी शुल्क डब्ल्यूटीओ और अन्य समझौतों का उल्लंघन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) और (ख) :** जी, हां। गल्फ कोआपरेशन काउंसिल (जीसीसी) ने भारत से सिरेमिक टाइलों के आयात पर दिनांक 06.06.2020 से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है।

इंडोनेशिया ने भारत से निम्नलिखित वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है : दिनांक 23.11.2010 (19.08.2019 को बढ़ाई गई) से पॉलीस्टर रेशा तंतु, दिनांक 17.12.2015 से द्विअक्षीय उन्मुख पॉलीथिलीन टेरीपेथलेट और दिनांक 02.03.2008 (02.04.2019 को बढ़ाई गई) से हॉट रोल्ड कॉयल।

**(ग) से (च) :** भारतीय सिरेमिक टाइलों पर जीसीसी द्वारा पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने का मामला जीसीसी के सदस्य देशों की सरकारों के साथ मंत्रालयी स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर निरंतर उठाया जा रहा है। सरकार ने रियाध स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से मई, 2020 में भारतीय सिरेमिक टाइल्स उद्योग को जीसीसी की मंत्रालयी समिति के साथ प्रशासनिक समीक्षा दायर करने और सितम्बर, 2020 में न्यायिक आयोग के समक्ष अपील करने में अपना सहयोग भी दिया है।

कोविड-19 महामारी, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में रूकावट आई और सभी सेक्टरों की वैश्विक मांग में कमी आई है, के कारण जीसीसी देशों को सिरेमिक टाइलों के हमारे निर्यात पर पाटनरोधी शुल्क के सटीक प्रभाव का अनुमान लगाना कठिन है। भारतीय सिरेमिक उद्योग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छह जीसीसी देशों में से तीन देशों नामतः कुवैत, कतर और ओमान ने अभी तक पाटनरोधी शुल्क इकट्ठा करना आरंभ नहीं किया है।

*****

**भारत सरकार** **लोक सभा**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** **अतारांकित प्रश्न सं. 497**

**(वाणिज्य विभाग)**

**दिनांक 16 सितंबर, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए**

चर्म परिधानों/वस्तुओं का निर्यात

497. श्री प्रताप सिम्हाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत से चर्म परिधानों/वस्तुओं के निर्यात का ब्यौरा और कुल आंकड़ा क्या है; और

(ख) देश में ऐसे उद्योग/व्यापार में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का ब्यौरा और संख्या कितनी है?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान भारत से चमड़ा, चमड़ा उत्पादों और फुटविअर (चमड़े के परिधानों सहित) के निर्यात का मूल्य निम्नानुसार है :-**

**(मि.अम.डा में)**

| श्रेणी | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|
| चमड़ा, चमड़ा उत्पाद और फुटविअर (चमड़े के परिधान सहित) | 5740.97 | 5691.09 | 5070.55 |

**[स्रोत : वाणिज्यक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस)]**

**(ख) चमड़ा निर्यात परिषद (चमड़ा क्षेत्र में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में स्थापित की गई परिषद) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऐसा अनुमान है कि देश में चमड़ा, चमड़ा उत्पादों और फुटवियर उद्योग में 4 मिलियन से अधिक व्यक्ति रोजगार में हैं।**

*****